

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- सी०एल० शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 75/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल०आर०एक्ट

अनवान

1. लादुलाल पिता किशनलाल कुम्हार
 2. सम्पतलाल पिता किशनलाल कुम्हार
- सर्व निवासी मैलोनी गंगापूर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवलाल पिता उदयराम जाट
 2. किशोरी बेवा उदयराम जाट
 3. शंकरी पुत्री नाथुलाल जाट
- सर्व निवासी नान्दशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
4. लेहरू पिता बरदा जाट
 5. गोपीलाल पिता नेनूराम जाट
 6. भैरूलाल पिता परथा जाट
 7. नन्दराम पिता पिता कालु जाट
 8. हीरालाल पिता कालु जाट
 9. सोहनी बेवा कालु जाट
 10. बाली पुत्री कालु जाट
 11. मोजीराम पिता मगना जाट
 12. गणेश पिता गोपीलाल जाट
 13. देईलाल उर्फ देवीलाल पिता धूला जाट
 14. लछमण पिता धूला जाट
 15. डाली पत्नि लछमण जाट
 16. उदयराम पिता नानू जाट
 17. गोपीलाल पिता नानू जाट
 18. तुलसी पिता नानू जाट
 19. अनोप पिता नानू जाट
 20. शंकरी पिता नानू जाट

सर्व निवासी सोरामजी का खेड़ा, नान्दशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

21. बरदू पिता दौलतराम जाट निवासी नान्दशा तहसील सहाड़ा।

22. रा०रा०ज० तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापूर।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 09/07/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 803 रकबा 0.11 हे० 804/2 रकबा 0.5289 हे० 805/2 रकबा 0.9798 हे० 806 रकबा

क्रमश....02

उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाडा

1.02 हे0 807/2 रकबा 0.05 हे0 भूमि कुल किता 05 कुल रकबा 2.6887 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 276 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 20 तथा 22 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 21 स्वयं उपस्थित, जिसने पत्थरगढी हेतु सहमति के हस्ताक्षर फर्द अहकाम पर किये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 803 रकबा 0.11 हे0 804/2 रकबा 0.5289 हे0 805/2 रकबा 0.9798 हे0 806 रकबा 1.02 हे0 807/2 रकबा 0.05 हे0 भूमि कुल किता 05 कुल रकबा 2.6887 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1,350- (एक हजार तीन सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1,350- (एक हजार तीन सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




जिला अधिकारी
(सी0एल0शर्मा)
गंगापुर जिला मीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(मीलवाड़ा)